माननीय आर.एस. मोंगिया और जवाहर लाल गुप्ता जे.जे., के समक्ष

सौरभ अग्रवाल,- याचिकाकर्ता।

बनाम

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय और अन्य,- प्रतिवादी।

सी.डब्ल्यू.पी. 1994 का क्रमांक 9658।

8 अगस्त, 1994.

भारत का संविधान, 1950- कला. 226/227—प्रवेश— प्रवेश इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि आवेदन गया कि आवेदन अधिकारियों द्वारा देर से प्राप्त हुआ था -इस तथ्य के बावजूद कि इसे काफी पहले ही भेज दिया गया था- क्या छात्र को बिना किसी गलती के दंडित किया जाना चाहिए- प्रत्येक मामले में अन्याय से बचने के लिए स्वयं की योग्यता के आधार पर निर्णय लिया गया - वर्तमान मामले में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

यह माना गया कि यह एक नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी आवेदन देर से प्राप्त होता है, तो उम्मीदवार को विचार से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई से परिहार्य अन्याय, मनमानी और अनुचित परिणाम हो सकते हैं। हमारे विचार में, प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह माना गया कि केवल यह तथ्य कि एक आवेदन इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुआ है, भले ही इसे समय पर भेजा गया था और उम्मीदवार को दोष नहीं दिया गया था, उम्मीदवार को विचार से बाहर करने का कोई आधार नहीं है। प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है, हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है, वह उन दो संस्थानों में प्रवेश के लिए विचार करने का हकदार है जिसके लिए उसने आवेदन किया था।

(पैरा 11)

उपस्थित :

आर.के. जैन, एडवोकेट बी.एस. राणा, एडवोकेट, ए, एस. विर्क के साथ - याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए वकील।

एस.के. पिपट, वरिष्ठ स्थायी वकील, संजीव पंडित- प्रतिवादी संख्या 6 के लिए वकील।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, **जे.**

(1) क्या कोई छात्र जिसने संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे केवल इसलिए कॉलेज में प्रवेश के लिए विचार से बाहर किया जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र देर से प्राप्त हुआ है, भले ही उसने इसे अंतिम तिथि से पहले ही भेज दिया हो? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस याचिका में विचार के लिए उठता है।

(2) याचिकाकर्ता अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड का दावा करता है। उन्होंने वर्ष 1992 में मैट्रिक की परीक्षा 83.2 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने 11 वीं कक्षा की परीक्षा 80 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 12 वीं कक्षा की परीक्षा 84.2 प्रतिशत अंकों के साथ। गणित और विज्ञान विषयों में उनका स्कोर क्रमशः 96 प्रतिशत और 87 प्रतिशत था। याचिकाकर्ता मई, 1994 में आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ। वह सफल रहा। उन्हें कुल लगभग 15,000 उम्मीदवारों में से योग्यता के क्रम में 1206 वें स्थान पर रखा गया था।

(3) टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों से विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि आवेदन 8 जुलाई 1994 को शाम 5 बजे तक प्राचार्य, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरूक्षेत्र के पास पहुंच जाने चाहिए। याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरूक्षेत्र और सर छोटू राम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज-मुरथल (हरियाणा) में प्रवेश के लिए विचार किए जाने के लिए अपने आवेदन पत्र जमा किए, ये आवेदन पत्र 1 जुलाई, 1994 को पंजीकृत एडी डाक द्वारा भेजे गए थे। डाकघर, सेक्टर 7, फ़रीदाबाद द्वारा जारी डाक रसीद संख्या 1791 और 1792 की प्रतियां रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-2 और पी-3 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। जब याचिकाकर्ता को 'पावती' रसीदें नहीं मिलीं, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादियों के कार्यालयों का दौरा किया और 12 जुलाई, 1994 को पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने उसी दिन नया आवेदन पत्र जमा कर दिया। बाद में, उन्हें पता चला कि मूल आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों को 14 जुलाई, 1994 को प्राप्त हुए थे। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से प्रवेश के लिए उसके दावे पर विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि उसने समय पर आवेदन पत्र जमा कर दिया था। यह सूचित किए जाने पर कि अंतिम तिथि तक फॉर्म प्राप्त नहीं होने के कारण प्रवेश के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जा सका, उन्होंने 22 जुलाई, 1994 को वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता का कहना है कि साक्षात्कार अगस्त, 1994 के दूसरे सप्ताह में होने हैं और प्रतिवादियों की उसे विचाराधीन सूची से बाहर करने की कार्रवाई अवैध और मनमानी है।

(4) बेंच द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, तीन अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं। उत्तरदाताओं क्रमांक 2, 3 और 4 अर्थात रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरूक्षेत्र, चेयरमैन, कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट और सर छोटू राम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल की ओर से दायर लिखित बयानों में, अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि याचिकाकर्ता के आवेदन अंतिम तिथि अर्थात 8 जुलाई 1994 के बाद प्राप्त हुए हैं। प्रवेश के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जा सकता। यह निर्धारित किया गया है कि यदि अंतिम तिथि के बाद आवेदनों पर विचार किया जाता है, तो यह "एक अंतहीन और असहनीय मामला" बन जाएगा जिसमें प्रवेश को कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया है कि प्रवेश को अंतिम रूप देने के लिए साक्षात्कार अगस्त, 1994 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किए जाने हैं। उत्तरदाताओं ने प्रार्थना की है कि रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा नहीं किए थे।

(5) पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस, फ़रीदाबाद की ओर से दायर लिखित बयान में कहा गया है कि पंजीकृत पत्र संख्या 1792 "5 जुलाई, 1994 को प्राप्तकर्ता को सही ढंग से वितरित किया गया था। पोस्ट मास्टर, कुरूक्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार, पंजीकृत पत्र संख्या 1791 14 जुलाई, 1994 को मुरथल स्थित पते पर भेजा गया था। उक्त पंजीकृत पत्रों की देर से डिलीवरी के कारणों की जांच की जा रही है और याचिकाकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाएगा। आगे यह कहा गया है कि पत्र संख्या 1791 की डिलीवरी में डाक अधिकारियों द्वारा जानबूझकर या जानबूझकर देरी नहीं की गई थी क्योंकि दोनों पत्र एक ही दिन सही ढंग से भेजे गए थे।

(6) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। यह सच है कि आवेदन जमा करना या उस पर विचार करना एक अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। कहीं न कहीं एक रेखा तो खींचनी ही होगी| तभी समय पर प्रवेश को अंतिम रूप देना और शैक्षणिक कार्य शुरू करना संभव है। अन्यथा प्रवेश की प्रक्रिया में देरी हो सकती है और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो सकता है। हालाँकि, यह एक नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब भी आवेदन देर से प्राप्त होता है, तो उम्मीदवार को विचार से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई से टाले जा सकने वाले अन्याय, मनमानी और अनुचित परिणाम हो सकते हैं।हमारे विचार में, प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए।

(7) इस मामले में क्या स्थिति है?

(8) याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन्होंने अपना आवेदन पत्र 1 जुलाई, 1994 को फ़रीदाबाद के डाकघर से पंजीकृत ए.डी. डाक से भेजा था।यह अंतिम तिथि से काफ़ी पहले की बात है। 8 जुलाई 1994. अभ्यर्थियों का इंटरव्यू अगस्त 1994 के दूसरे सप्ताह में होना था| सुनवाई के दौरान, हमें सूचित किया गया कि साक्षात्कार 8 अगस्त से 11 अगस्त 1994 तक आयोजित किये जाने हैं। ऐसे में अभी तक दाखिले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। नतीजतन, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र समय पर भेज दिए थे और वह उचित रूप से उम्मीद कर सकता था कि इसे इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। इससे भी आगे, किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं आया है क्योंकि उम्मीदवारों को अभी तक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया है।

(9) उत्तरदाताओं क्रमांक 2 और 3 की ओर से उपस्थित श्री विर्क ने हमारे समक्ष उप-रजिस्ट्रार (अकादमिक), सी.आर. स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल को संबोधित मूल लिफाफा प्रस्तुत कियाऔर जमा करने के लिए डाक विभाग, कुरूक्षेत्र की डिलीवरी स्लिप, दोनों फॉर्म 14 जुलाई, 1994 को प्राप्त हुए थे। इन दस्तावेजों को क्रमशः मार्क 'ए' और मार्क 'बी' के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाता है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को यह बताते हुए कष्ट हो रहा था कि प्रतिवादी नंबर 6 ने अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि "पंजीकृत पत्र संख्या 1792 को 5 जुलाई, 1994 को पोस्टमास्टरकुरुक्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार सही ढंग से पते पर पहुंचाया गया था।" जबकि "पंजीकृत पत्र संख्या 1791 14 जुलाई, 1994 को मुरथल में प्राप्तकर्ता को दिया गया था।" उन्होंने हमें डाक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दो प्रमाणपत्र भी दिखाए। जो भी हो, समय की कमी के कारण हमारे लिए इस मामले की जांच करना संभव नहीं है। हालाँकि, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन पत्र 1 जुलाई 1994 को जमा किया था। यह अंतिम तिथि से काफी पहले था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी चप्पुओं पर आराम नहीं किया। वह सतर्क था. उन्होंने कॉलेज के साथ-साथ डाक अधिकारियों के साथ भी इस मामले को उठाया। उन्होंने नया आवेदन पत्र भी जमा किया। उसने वह सब किया जो उसके वश में था। वह जाहिर तौर पर एक उत्सुक छात्र है। इसके अलावा आज तक भी दाखिले फाइनल नहीं हो सके हैं। किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को विचार से बाहर करना उचित और उचित नहीं होगा। यदि उसकी योग्यता के आधार पर, वह भर्ती होने योग्य है, तो उसे कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने 1 जुलाई, 1994 को फॉर्म भेज दिए थे, और वैध रूप से उम्मीद कर सकते थे

कि आवेदन जुलाई 1994 से पहले संबंधित तिमाहियों तक पहुंच जाएंगे। भले ही कुछ देरी हुई हो, इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Prerna Arya
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh